



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102023-249129
CG-DL-E-04102023-249129

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 3, 2023/आश्विन 11, 1945

No. 254]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2023/ASVINA 11, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2023

मामला संख्या: सीवीडी (एसएसआर-09/2023)

विषय: चीन जन.गण. और वियतनाम में मूलतः अथवा वहां से निर्यातित "वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपों और ट्यूब्स" के आयात के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत।

फा. संख्या 7/23/2023-डीजीटीआर.—स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (दिल्ली) और स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (गुजरात) (बाद में "आवेदकों" के रूप में संदर्भित) ने घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे "आवेदक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के प्रावधानों के तहत "प्राधिकरण", समय-समय पर संशोधित (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में भी जाना जाता है) और सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी वाली वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह) क्षति का निर्धारण) नियम, 1995, समय-समय पर संशोधित (इसके बाद इसे "सीवीडी नियम" के रूप में भी जाना जाता है) चीन पीआर और वियतनाम (इसके बाद "विषय देशों" के रूप में जाना जाता है) से उत्पन्न या निर्यात किए गए "वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब" (इसके बाद "विषय वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में संदर्भित) के आयात से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए अनुरोध किया है।

2. अधिनियम की धारा 9 (6) और सीवीडी नियमावली के नियम 24 (3) लगाए गए प्रतिकारी शुल्क यदि पहले निरस्त नहीं किए जाते हैं, तो ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होंगे और प्राधिकरण को इस बात की समीक्षा करनी होगी कि क्या उक्त प्रतिकारी शुल्क की समाप्ति से राजसहायता जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकरण से अपेक्षा की जाती है कि वह घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करे कि क्या प्रतिकारी शुल्क को निरंतर लगाए जाने की आवश्यकता है और क्या शुल्क की समाप्ति से राजसहायता जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने तथा क्षति होने की संभावना है।

क. पृष्ठभूमि

3. प्राधिकरण द्वारा मूल सब्सिडी विरोधी जांच 9 अगस्त 2018 को शुरू की गई थी। प्राधिकरण ने दिनांक 31 जुलाई, 2019 के अंतिम निष्कर्ष संख्या 6/22/2018- डीजीएडी के तहत संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात पर निश्चित एंटी-सब्सिडी शुल्क लगाने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर 2019 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 4/2019-सीमा शुल्क (सीवीडी) के माध्यम से निश्चित उपाय किए गए थे।
4. इसके अलावा विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों के अनुरोध के अनुसरण में प्राधिकरण ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे को संशोधित करने की आवश्यकता की जांच करने के लिए 11 फरवरी 2021 की अधिसूचना के माध्यम से एक सीमित मध्यावधि समीक्षा शुरू की। दिनांक 8 फरवरी, 2022 के अंतिम निष्कर्ष संख्या 7/45/2020-डीजीटीआर के माध्यम से प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि मांगे गए उत्पाद को बाहर करने की आवश्यकता नहीं थी।

ख. विचाराधीन उत्पाद

5. विचाराधीन उत्पाद मूल जांच के समान है यानी, "वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब"।
6. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहता है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है।
7. विचाराधीन उत्पाद स्टेनलेस स्टील शीट, स्केल्प, कॉइल या प्लेटों का उपयोग कर निर्मित है। कच्चे माल को आवश्यक आकार में बनाया जाता है और उपयुक्त वेल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से वेल्ड किया जाता है।
8. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 73 के तहत वर्गीकृत किया गया है और आगे, उपशीर्षकों 7306 40 00, 7306 61 00 और 7306 69 00 के तहत वर्गीकृत किया गया है। विचाराधीन उत्पाद को 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 29 19, 7306 29 19, 7306 30 90 के तहत एचएस कोड के तहत आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
9. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और जांच शुरूआत इस अधिसूचना के पैराग्राफ 26 में दर्शाए गए प्राधिकरण के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ग. समान वस्तु

10. आवेदकों ने दावा किया है कि याचिका दायर करने वाले घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और संबंधित देशों से निर्यात किए गए सामानों में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। दोनों उत्पादों में भौतिक रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, कार्यों के उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण विपणन और टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों के संदर्भ में तुलनीय विशेषताएं हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से सहायक हैं। इसलिए, वर्तमान जांच के उद्देश्य से, याचिका दायर करने वाले घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित विषय वस्तुओं को विषय देशों में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विषय वस्तुओं के लिए 'वस्तु की तरह' माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

11. स्टेनलेस स्टील पाइप एंड ट्यूब्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (दिल्ली) और स्टेनलेस-स्टील पाइप्स ट्यूब्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (गुजरात) द्वारा संबंधित संघों के सदस्यों की ओर से 29 जुलाई 2021 के ट्रेड नोटिस 09/2021 के संदर्भ में आवेदन दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि घरेलू उद्योग खंडित है, तो घरेलू उद्योग की ओर से एक संघ द्वारा आवेदन दायर किया जा सकता है। बशर्ते कि ऐसे घरेलू उत्पादक कुल पात्र घरेलू उत्पादन के बड़े अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं। आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि पीयूसी का निर्माण करने वाले घरेलू उद्योग प्रकृति में खंडित

हैं, भारत में विषय वस्तुओं के 100 से अधिक उत्पादक हैं। आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि याचिका दायर करने वाले घरेलू उत्पादक विषय देशों में विषय वस्तुओं के निर्यातकों या भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा, ऐसे उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

12. प्राधिकरण प्रथम दृष्टया यह देखता है कि एसोसिएशन ने घरेलू उत्पादकों की ओर से कार्य किया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, और आवेदकों द्वारा दायर आवेदन की जांच के बाद, प्राधिकरण प्रथम दृष्टया नोट करता है कि आवेदक नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' का गठन करते हैं और आवेदन नियम 6 (3) के संदर्भ में खड़े होने के मानदंडों को पूरा करता है।
13. यह भी नोट किया जाता है कि 29 जुलाई 2021 के व्यापार नोटिस संख्या 09/2021 के अनुसार, "क्षति मार्जिन निर्धारित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण आवेदक घरेलू उत्पादकों की विस्तृत जांच को सीमित संख्या में घरेलू उत्पादकों तक सीमित कर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण जांच के दौरान चोट और चोट के मार्जिन को निर्धारित करने के उद्देश्य से घरेलू उत्पादकों के एक उपयुक्त नमूने पर विचार करेगा।

ड. सब्सिडी कार्यक्रम

14. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबंधित देशों में विषय वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को संबंधित देशों की सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदान की जाने वाली कार्रवाई योग्य राजसहायता से लाभ मिल रहा है, जिसमें वे प्रांत और जिले भी शामिल हैं जहां उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि अतिरिक्त कार्यक्रम या योजनाएं हैं जिन पर वर्तमान जांच में विचार किया जाना चाहिए।

i. चीन गण. जन. के संबंध में योजनाओं की सूची

- i. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर माल और सेवाओं के प्रावधान के रूप में पहचान की गई योजनाएं
 - क. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए पानी का प्रावधान
 - ख. सरकार द्वारा पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर प्रदान किया जाने वाला हॉट रोलड स्टील (एचआरएस)
 - ग. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कोल्ड रोलड का प्रावधान
 - घ. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर इस्पात स्क्रेप के लिए सरकारी प्रावधान
 - ङ. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर प्रदान किए गए भूमि उपयोग अधिकार
 - च. एसओई के लिए भूमि उपयोग अधिकार
 - छ. एलटीएआर के लिए निकल/निकल पिग आयरन का प्रावधान
 - ज. एलटीएआर के लिए फेरोक्रोम/क्रोमियम का प्रावधान
 - झ. एलटीएआर के लिए कोकिंग कोयले का प्रावधान
 - ञ. एलटीएआर में लौह अयस्क
 - ट. LTAR पर बिजली
 - ठ. कोक पर निर्यात प्रतिबंध
 - ड. LTAR के लिए भूमि-उपयोग अधिकारों का प्रावधान – कुछ औद्योगिक और SEZ में भूमि उपयोग अधिकार

ii. कर और वैट प्रोत्साहन के रूप में पहचानी गई योजनाएं

- क. आयातित उपकरणों के लिए टैरिफ और वैट छूट
- ख. उन कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां जो उच्च और नई प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं
- ग. मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए कर रियायतें
- घ. कर वरीयता उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो एक छोटे लाभ पर काम करती हैं
- ङ. टियांजिन पोर्ट मुक्त व्यापार क्षेत्र में उद्यम आयकर दर में कमी
- च. विशेष उपकरणों की खरीद से संबंधित कर क्रेडिट

- छ. व्यापक संसाधन उपयोग (विशेष कच्चे माल) में लगे उद्यमों के लिए आयकर रियायतें
- ज. शंघाई के पुडोंग क्षेत्र में स्थापित एफआईई के लिए अधिमान्य कर नीतियां
- झ. विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित विदेशी निवेश और विदेशी उद्यमों वाले उद्यमों के लिए आयकर में कमी
- ञ. अनुसंधान और विकास (आरडी) खर्चों की कटौती के लिए कर नीतियां
- ट. पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमों के लिए अधिमान्य आयकर नीति
- ठ. विदेशी निवेशकों द्वारा एफआईई मुनाफे के पुनः निवेश के लिए आयकर वापसी
- ड. 10 वर्ष से कम की अवधि के लिए संचालित होने वाले उत्पादक एफआईई के लिए कम कर दर
- ढ. उन्नत प्रौद्योगिकी एफआईई के लिए आयकर में कमी
- ण. एफआईई और विदेशी उद्यमों और कुछ घरेलू स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां जिनके चीन में प्रतिष्ठान या स्थान हैं और घरेलू रूप से उत्पादित उपकरणों की खरीद के उत्पादन या व्यावसायिक संचालन में लगे हुए हैं
- त. एफआईई के अनुसंधान और विकास के लिए अधिमान्य कर नीतियां
- थ. घरेलू स्तर पर खरीद करने वाले एफआईई के लिए वैट रिफंड - उत्पादित उपकरण
- द. प्रौद्योगिकी या ज्ञान-गहन एफआईई के लिए कर में कटौती
- ध. उच्च तकनीक उपलब्धि व्यावसायीकरण परियोजनाओं के लिए शंघाई नगरपालिका कर वापसी
- न. उत्पादक एफआईई के लिए स्थानीय आयकर और कटौती कार्यक्रम
- प. गुआंगडोंग और हैनान द्वीप में एसईजेड में स्थानीय आयकर छूट और / या कमी
- फ. इस्पात उद्योग के विकास को बढ़ावा देने वाले औद्योगिक पार्क
- ब. योग्य निवासी उद्यमों के बीच लाभांश छूट
- भ. तटीय आर्थिक खुले क्षेत्रों और आर्थिक और तकनीकी विकास क्षेत्रों में स्थापित एफआईई के लिए अधिमान्य कर नीतियां

iii. अधिमान्य ऋण और उधार के रूप में पहचान की गई योजनाएं

- क. जीओसी द्वारा ऋण गारंटी
- ख. अधिमान्य उधार (पॉलिसी ऋण सहित)
- ग. चीन के निर्यात-आयात बैंक से अधिमान्य निर्यात वित्तपोषण
- घ. एसओई के लिए अधिमान्य ऋण
- ड. ऋण ब्याज का भुगतान करने के लिए भत्ता

iv. निर्यात वित्तपोषण और निर्यात ऋण के रूप में पहचान की गई योजनाएं

- क. निर्यात विक्रेता ऋण
- ख. निर्यात क्रेता ऋण
- ग. निर्यात ऋण बीमा सब्सिडी
- घ. राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से अन्य निर्यात वित्तपोषण

v. इक्विटी इन्फ्यूजन के रूप में पहचान की गई योजनाएं

- क. इक्विटी स्वैप के लिए ऋण
- ख. इक्विटी निवेश
- ग. अवैतनिक लाभांश

घ. ऋण माफी विलय

ड. पुनर्गठन से गुजर रहे एसओई के लिए विलेख कर छूट

vi. अनुदान के रूप में पहचानी गई योजनाएं

- क. प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम/प्रसिद्ध ब्रांड उत्पादों के लिए प्रोत्साहन निधि
- ख. ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी सुधार के लिए विशेष कोष
- ग. जियांग्सू प्रांत द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान
- घ. बाओशान स्टील को अनुदान
- ड. पाटन रोधी जांच के लिए अनुदान
- च. सुपरस्टार एंटरप्राइज़ अनुदान
- छ. अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) सहायता अनुदान
- ज. निर्यात सहायता अनुदान
- झ. शेयरों की लिस्टिंग के लिए अनुदान
- ञ. गुआंगडोंग प्रांत में उद्योगों के बाहरी विस्तार के लिए धन
- ट. राजकोषीय और तकनीकी नवाचार के लिए प्रांतीय निधि के माध्यम से प्रदान किए गए अनुदान
- ठ. अनुदान - विदेशी व्यापार के स्थिर विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष निधि
- ड. घरेलू और विदेशी मेले में भाग लेने के लिए झोंगशाम उद्यमों के लिए भत्ते के निधि प्रबंधन के अंतरिम उपाय
- ढ. निर्यात कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार निधि
- ण. लघु और मध्यम आकार के उद्यम सहायता निधि
- त. प्रमुख उद्योगों और नवाचार प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य विशेष निधि
- थ. ट्रेजरी बॉन्ड ऋण या अनुदान
- द. प्रांतीय सरकार - उपकरण अनुदान
- ध. फुयांग शहर और हांगजो शहर को प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान
 - i. आरएमबी 10 मिलियन से अधिक करें का भुगतान करने वाले उद्यमों के हेबेई प्रांत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत अनुदान
 - ii. उप-अनुबंध सेवा कार्यक्रम के निर्यात के तहत अनुदान
 - iii. उत्कृष्ट नए उत्पाद / प्रौद्योगिकी पुरस्कार के तहत अनुदान
 - iv. प्रमुख उद्योगों के लिए फुयांग शहर सरकार से निवेश अनुदान
 - v. उद्यमों के संचालन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और विकास केंद्रों के लिए अनुदान
 - vi. निर्यात क्रेडिट बीमा शुल्क पर स्थानीय और प्रांतीय सरकार प्रतिपूर्ति अनुदान
 - vii. हांगजो प्रान्त और फुयांग शहर (झेजियांग प्रांत) (अनहुई प्रांत) से प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) अनुदान
- न. हेबेई प्रांत द्वारा प्रदान किया गया अनुदान
 - i. हेबेई प्रांत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत अनुदान
 - ii. शीज़ियाज़ूआंग सिटी एक्सपोर्ट अवार्ड सरकार
- प. शेडोंग प्रांत को प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान
 - i. प्रमुख उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना के लिए शेडोंग प्रांत का विशेष कोष

- ii. प्रमुख ऊर्जा-बचत प्रौद्योगिकी के औद्योगिकीकरण के लिए शेडोंग प्रांत का पुरस्कार कोष
- iii. शेडोंग प्रांत के पर्यावरण संरक्षण उद्योग अनुसंधान और विकास निधि
 - फ. प्रमुख उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शेडोंग प्रांत का निर्माण कोष
 - ब. टियांजिन बिनहाई नए क्षेत्र और टियांजिन आर्थिक और तकनीकी विकास क्षेत्र में प्रदान की गई सब्सिडी
 - भ. उत्सर्जन में कमी के लिए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को शंघाई नगरपालिका सब्सिडी

vii. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के रूप में पहचान की गई योजनाएं

- क. पर्याप्त पारिश्रमिक से अधिक पर सरकार द्वारा माल की खरीद

ii. वियतनाम के संबंध में योजनाओं की सूची

i. कर प्रोत्साहन और छूट के रूप में पहचानी गई योजनाएं

- क. कच्चे माल के लिए आयात शुल्क छूट या प्रतिपूर्ति
- ख. अचल संपत्ति बनाने के लिए उपकरण और मशीनरी के लिए उपकरणों के लिए आयात शुल्क छूट
- ग. उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट आयकर पर छूट
- घ. निर्यातित वस्तुओं के आयात पर छूट
- ङ. उद्यम आयकर कानून के अध्याय III के तहत उद्यम आयकर छूट

ii. निर्यात वित्तपोषण और निर्यात ऋण के रूप में पहचानी गई योजनाएं

- क. निवेशकों के लिए अधिमान्य ऋण
- ख. निर्यात संवर्धन कार्यक्रम

iii. निवेश प्रोत्साहन के रूप में पहचानी गई योजनाएं

- क. निर्यातकों को अधिमान्य ऋण
- ख. लघु-मध्यम उद्यमों को सहायता
- ग. निवेश क्रेडिट ऋण की ब्याज दर
- घ. छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों की स्थापना पर निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों पर निवेश सहायता

iv. बैंकों से लाभ के रूप में पहचानी गई योजनाएं

- क. वियतनाम विकास बैंक से निर्यात क्रेडिट
- ख. वियतनाम बैंक द्वारा निर्यात वित्तपोषण गतिविधि
- ग. वियतनाम बैंक द्वारा वित्तीय गारंटी
- घ. निर्यात समर्थन क्रेडिट

v. विशिष्ट जोनों में प्रदान की जा रही योजनाओं के रूप में पहचान की गई योजनाएं

- क. प्रोत्साहित उद्योगों या औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमों के लिए भूमि वरीयता

vi. उपयोगिताओं के उपयोग पर प्रोत्साहन के रूप में पहचान की गई योजनाएं

- क. पानी के किराए पर छूट या कटौती
- ख. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए भूमि का सरकारी प्रावधान और भूमि किराए से छूट या कटौती

15. नामित प्राधिकारी अन्य राजसहायताओं की जांच कर सकता है, जो जांच के दौरान संबंधित देशों में विषय वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा मौजूद पाई जा सकती हैं और उनका लाभ उठा सकती हैं।

च. सब्सिडी जारी रखने/दोहराने की संभावना और क्षति

16. प्रथम दृष्टया इस बात के प्रमाण हैं कि प्रतिकारी-रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में सब्सिडियां जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा है क्योंकि शुल्क के अधीन संबंधित देशों से आयात की मात्रा कम शुल्क के अधीन निर्यातकों से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है चीन गण. जन. से वियतनाम को राजसहायता प्राप्त कच्चे माल का अंतरण, चीन पीआर से वियतनाम को राजसहायता प्राप्त कच्चे माल का अंतरण, सब्सिडी-रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा है। तीसरे देशों द्वारा लगाए गए व्यापार उपचारात्मक उपाय संबंधित देशों में अधिक क्षमता, शुल्कों की अनुपस्थिति में आयात के संभावित दमन या अवसाद प्रभाव और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर सब्सिडी विरोधी शुल्क की समाप्ति के संभावित प्रतिकूल प्रभाव।

छ. निर्णायक समीक्षा जांच शुरूआत

17. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, सब्सिडी जारी रखने या घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने की संभावना को प्रमाणित करने के बाद, प्राधिकरण संबंधित देशों से विषय वस्तुओं के आयात पर सब्सिडी रोधी शुल्क को निरंतर लागू करने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा जांच शुरू करता है और सीवीडी नियमावली के नियम 24 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 9 के अनुसार इस बात की जांच करना कि क्या मौजूदा प्रतिकारी शुल्क की समाप्ति से राजसहायता जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना है।

ज. शामिल देश

18. वर्तमान प्रतिकारी शुल्क जांच के लिए विषय देश चीन जन. गण. और वियतनाम हैं।

झ. जांच की अवधि

19. वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) है। क्षति विश्लेषण अवधि में जांच की अवधि और तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष, यानी 2019-20, 2020-21, 2021-22 शामिल हैं।

प्रक्रिया

20. निर्णायक समीक्षा जांच में अधिसूचना संख्या 6/22/2018- डीजीएडी दिनांक 31 जुलाई 2019 के माध्यम से प्रकाशित अंतिम निष्कर्षों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। प्राधिकरण लागू राजसहायता-रोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में राजसहायता की निरंतरता/पुनरावृत्ति और क्षति का संभावित विश्लेषण भी करेगा।
21. नियम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 और 22 के प्रावधान वर्तमान जांच में परिवर्तन करेंगे।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

22. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
23. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो विषय वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित फॉर्म और तरीके से दायर की जानी चाहिए।
24. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी ऊपर उल्लिखित ईमेल पतों पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित फॉर्म और तरीके से जांच के लिए प्रासंगिक अपनी प्रस्तुतियां दे सकता है।
25. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पक्षों को इसका एक गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

26. इच्छुक पक्षों को आगे सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए प्राधिकरण <http://www.dgtr.gov.in/> की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें।

ठ. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी सीवीडी नियमों के नियम 7 (4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों (30 दिनों) के भीतर adg14-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से प्राधिकरण को होनी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के संदर्भ में सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए आमंत्रित नोटिस को उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त माना जाएगा जिस तारीख को इसे नामित प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया गया था। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकरण नियमों के अनुसार अभिलेखों पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।
28. सभी इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल जांच में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया / प्रस्तुतियां दायर करें।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. प्राधिकरण के समक्ष गोपनीय आधार पर कोई गोपनीय प्रस्तुति देने या जानकारी प्रदान करने वाले किसी भी पक्ष को नियमों के नियम 8 (2) और इस संबंध में जारी व्यापार नोटिस के अनुसार एक साथ इसका एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता प्रतिक्रिया / प्रस्तुतियों की अस्वीकृति का कारण बन सकती है।
30. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकरण के समक्ष कोई भी प्रस्तुति (परिशिष्ट/अनुलग्नकों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करणों को अलग-अलग दाखिल करना अपेक्षित है।
31. "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" प्रस्तुतियों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के अंकन के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकरण द्वारा गैर-गोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकरण अन्य इच्छुक पक्षों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।
32. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो प्रकृति से गोपनीय है और / या अन्य जानकारी जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है या वह जानकारी जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।
33. इच्छुक पक्षों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त की गई हो (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उस जानकारी के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशित किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है।
34. गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार की उचित समझ हो सके। हालांकि असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है और नियम 1995 के नियम 8 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का एक बयान, और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस, कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
35. इच्छुक पक्ष इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 25 में दर्शाए गए दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
36. नियमों के नियम 8 के अनुसार सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण या पर्याप्त और पर्याप्त कारण विवरण के बिना की गई कोई भी प्रस्तुति, और गोपनीयता दावे पर प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

37. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध नहीं आवश्यक है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।
38. प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को संतुष्ट होने और स्वीकार करने पर प्राधिकारी ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करेगा।
39. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अन्य सभी इच्छुक पक्षों को अपनी प्रस्तुतियों / प्रतिक्रिया / जानकारी के गैर-गोपनीय संस्करण को ईमेल करें। प्रस्तुतियों/प्रतिक्रिया/सूचना के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता के कारण इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी माना जा सकता है।

ड. असहयोग

40. ऐसे मामले में जहां कोई इच्छुक पक्ष उचित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है, या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, प्राधिकरण अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को दर्ज कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो उचित समझे जाते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, 30th September, 2023

Case No. CVD/SSR-09/2023

Subject: Initiation of sunset review investigation of countervailing duty concerning imports of Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes originating in or exported from China PR and Vietnam.

F. No. 7/23/2023-DGTR.— Stainless Steel Pipe and Tubes Manufacturer Association (Delhi) and Stainless Steel Pipes & Tubes Manufacturers Association (Gujarat) (hereinafter referred to as the “applicants”) have filed an application on behalf of the domestic industry before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) under the provisions of the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “CVD Rules”) for the initiation of a sunset review investigation of countervailing duties concerning imports of “welded stainless steel pipes and tubes” (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration”) originating in or exported from China PR and Vietnam (hereinafter referred to as the “subject countries”).

2. In terms of Section 9 (6) of the Act and Rule 24 (3) of the CVD Rules, the countervailing duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of the said countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury to the domestic industry. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether there is a need for the continued imposition of the countervailing duty, and whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury.

A. Background

3. The original anti-subsidy investigation was initiated by the Authority on 9th August 2018. The Authority recommended the imposition of definitive anti-subsidy duties on the imports of the subject goods from the subject countries *vide* Final Finding no F. No. 6/22/2018- DGAD dated 31st July 2019. The definitive measures were imposed by the Ministry of Finance *vide* Customs Notification No. 4/2019-Customs (CVD), dated 17th September 2019.

4. Further, pursuant to a request by the exporters of the product under consideration, the Authority initiated a limited mid-term review *vide* Notification dated 11th February 2021 to examine the need to modify the scope of

product under consideration. *Vide* Final Findings No. 7/45/2020-DGTR dated 8th February 2022, the Authority concluded that the product exclusion sought was not warranted.

B. Product under consideration

5. The product under consideration is the same as in the original investigation i.e., “welded stainless steel pipes and tubes”.

6. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.

7. The product under consideration is manufactured using stainless steel sheet, skelp, coil or plates. The raw material is formed into required shape and welded through suitable welding process.

8. The product under consideration is classified under Chapter 73 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 and further, classified under subheadings 7306 40 00, 7306 61 00 and 7306 69 00. The product under consideration is also being imported under the HS Codes under 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 30 90, 7306 50 00, 7306 90 11, 7306 90 19 and 7306 90 90. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.

9. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority as indicated in paragraph 27 of this initiation notification.

C. Like article

10. The applicants have claimed that there are no known significant differences in the goods produced by the petitioning domestic producers and that exported from the subject countries. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The applicants have claimed that the two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of present investigation, the subject goods produced by the petitioning domestic producers are being treated as ‘like article’ to the subject goods originating in or exported from the subject countries.

D. Domestic industry and standing

11. The application has been filed by Stainless Steel Pipe and Tubes Manufacturer Association (Delhi) and Stainless-Steel Pipes & Tubes Manufacturers Association (Gujarat) on behalf of members of the respective associations in terms of Trade Notice 09/2021 dated 29th July 2021, which states that in case the domestic industry is fragmented, the application may be filed by an association on behalf of the domestic industry, provided that such domestic producers represent major proportion of total eligible domestic production. The applicants have submitted that the domestic industry manufacturing the PUC are fragmented in nature, with more than 100 producers of subject goods in India. The applicants have submitted that the petitioning domestic producers are not related to exporters of subject goods in subject countries or importers of product under consideration in India. Further, such producers have not imported the product under consideration during the period of investigation.

12. The Authority *prima facie* observes that the association has acted on behalf of domestic producers. In view of the above, and after examination of the application filed by the applicants, the Authority *prima facie* notes that the applicants constitute ‘domestic industry’ within the meaning of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 6(3).

13. It is further noted that as per Trade Notice No. 09/2021 dated 29th July 2021, “[t]he Authority for the purpose of determining injury margin may limit detailed examination of applicant domestic producers to a limited number of domestic producers.” In view of the same, the Authority will consider an appropriate sample of domestic producers for the purpose of determining the injury and injury margin during the course of the investigation.

E. Subsidy Programs

14. The applicants have alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject countries continue to be benefitted from actionable subsidies provided at various levels by the Governments of the subject countries, including the provinces and districts in which producers/exporters are located. The applicants have also claimed that there are additional programs or schemes that should be considered in the present investigation.

I. List of schemes in respect of China PR

- i. *Schemes identified as provision of Goods and Services at Less Than Adequate Remuneration*
 - a. Provision of Water for Less than Adequate Remuneration
 - b. Hot Rolled Steel (HRS) provided by Government at less than adequate remuneration

- c. Provision of Cold-Rolled for Less Than Adequate Remuneration
- d. Government Provision for Steel Scrap for Less than Adequate Remuneration
- e. Land use rights provided at less than adequate remuneration
- f. Land Use Rights for SOEs
- g. Provision of Nickel/Nickel Pig Iron for LTAR
- h. Provision of Ferrochrome/Chromium for LTAR
- i. Provision of Coking Coal for LTAR
- j. Iron Ore at LTAR
- k. Electricity at LTAR
- l. Export restrictions on Coke
- m. Provision of Land-Use Rights for LTAR – Land Use Rights in Certain Industrial and SEZs
- ii. *Schemes identified as Tax and Vat Incentives*
 - a. Tariff and VAT Exemptions for Imported Equipment
 - b. Preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies
 - c. Tax concessions for Central and Western Regions
 - d. Tax Preference Available to Companies that Operate at a Small Profit
 - e. Enterprise Income Tax Rate Reduction in the Tianjin Port Free Trade Zone
 - f. Tax credit concerning the purchase of special equipment
 - g. Income tax concessions for the enterprises engaged in comprehensive resource utilisation (special raw materials)
 - h. Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Pudong Area of Shanghai
 - i. Income Tax Reduction for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises established in Special Economic Zones
 - j. Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses
 - k. Preferential income tax policy for the enterprises in the Northeast region
 - l. Income Tax Refund for Re-investment of FIE Profits by Foreign Investors
 - m. Reduced Tax Rate for Productive FIEs Scheduled to operate for a Period not Less than 10 Years
 - n. Income Tax Reduction for Advanced Technology FIEs
 - o. Preferential Tax Policies for FIEs and Foreign Enterprises and Certain Domestically- Owned Companies Which Have Establishments or Places in China and are Engaged in Production or Business Operations Purchasing Domestically Produced Equipment's
 - p. Preferential Tax Policies for the Research and Development of FIEs
 - q. VAT Refunds for FIEs Purchasing Domestically - Produced Equipment
 - r. Tax Reductions for Technology or Knowledge-Intensive FIEs
 - s. Shanghai Municipal Tax Refund for High-tech Achievement Commercialization Projects
 - t. Local income tax and reduction program for the productive FIEs
 - u. Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs in Guangdong and Hainan Island
 - v. Industrial Parks promoting growth of Steel Industry

- w. Dividend exemption between qualified resident enterprises
- x. Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones
- iii. *Schemes identified as Preferential Loans and Lending*
 - a. Credit Guarantee by GOC
 - b. Preferential Lending (including Policy Loans)
 - c. Preferential export financing from the Export-Import Bank of China
 - d. Preferential Loans for SOEs
 - e. Allowance to Pay Loan Interest
- iv. *Schemes identified as Export Financing and Export Credit*
 - a. Export Seller's Credit
 - b. Export Buyer's Credit
 - c. Export Credit Insurance Subsidies
 - d. Other export financing from State Owned Banks
- v. *Schemes identified as Equity Infusion*
 - a. Debt for equity swaps
 - b. Equity infusions
 - c. Unpaid dividends
 - d. Debt Forgiveness
 - e. Deed Tax Exemption for SOEs Undergoing Mergers or Restructuring
- vi. *Schemes identified as Grants*
 - a. Famous Brands Program/ Incentive fund for famous-brand products
 - b. Special fund for energy saving technology reform
 - c. Direct Government Grants given by Jiangsu Province
 - d. Grants to Baoshan Steel
 - e. Grants for Antidumping Investigations
 - f. Superstar Enterprise Grant
 - g. Research & Development (R&D) Assistance Grant
 - h. Export Assistance Grant
 - i. Grants for Listing Shares
 - j. Funds for Outward Expansion of industries in Guangdong Province
 - k. Grants provided through the Provincial Fund for Fiscal and Technological Innovation
 - l. Grant - Special Funds for Fostering Stable Growth of Foreign Trade
 - m. Interim Measures of Fund Management of Allowance for Zhongshan Enterprises to Attend Domestic and Overseas Fair
 - n. International Market Fund for Export Companies
 - o. Small and Medium-sized Enterprise Support Funds
 - p. State Special Fund for Promoting Key Industries and Innovation Technologies

- q. Treasury Bonds Loans or Grants
- r. Provincial Government - Equipment Grant
- s. Various grants provided to Fuyang City and Hangzhou City
 - i. Grant for Enterprises Paying Over RMB 10 Million in Taxes
 - ii. Grants under the Export of Sub-Contract Services Program
 - iii. Grants under Excellent New Products/Technology Award
 - iv. Investment grants from Fuyang City Government for key industries
 - v. Grants for Enterprises Operating Technology and Research and Development Centers
 - vi. Local and Provincial Government Reimbursement Grants on export Credit Insurance Fees
 - vii. Initial Public Offering (IPO) Grants from the Hangzhou Prefecture and the City of Fuyang (Zhejiang Province) & (Anhui Province)
- t. Grants provided by Hebei Province
 - i. Grants under the Science and Technology program of Hebei Province
 - ii. Government of Shijiazhuang City Export Award
- u. Various grants provided to Shandong Province
 - i. Shandong Province's Special Fund for the Establishment of Key Enterprise Technology Centers
 - ii. Shandong Province's Award Fund for Industrialization of Key Energy-Saving Technology
 - iii. Shandong Province's Environmental Protection Industry Research and Development Funds
- v. Shandong Province's Construction Fund for Promotion of Key Industries
- w. Subsidies Provided in Tianjin Binhai New Area and the Tianjin Economic and Technological Development Area
- x. Shanghai Municipal Subsidy to Coal-Fired Power Plants for Emissions Reduction
- vii. *Schemes identified as provision of Goods and Services at Less Than Adequate Remuneration*
 - a. Purchase of Goods by the Government for higher than adequate remuneration

II. List of schemes in respect of Vietnam

- i. *Schemes identified as Tax Incentives and Exemption*
 - a. Import duty exemption or reimbursement for raw material
 - b. Import duty exemption for equipment for equipment and machinery to create fixed asset
 - c. Exemption on corporate income tax for enterprises
 - d. Exemption on Import for Exported Goods
 - e. Enterprise Income Tax Exemption under Chapter III of the Law on Enterprise Income Tax
- ii. *Schemes identified as Export Financing and Export Credit*
 - a. Preferential Lending for investors
 - b. Export Promotion Program
- iii. *Schemes identified as Investment Incentives*
 - a. Preferential lending to exporters
 - b. Assistance to Small- Medium Enterprises.
 - c. Interest rate of the investment credit loans

- d. On investment support on foreign investors who invested on establishing small and medium scale enterprises
- iv. *Schemes identified as Benefits from Banks*
 - a. Export credits from the Vietnam Development Bank
 - b. Export Financing Activity by Vietin Bank
 - c. Financial Guarantees by Vietin Bank
 - d. Export Support Credit
- v. *Schemes identified as being provided in Specific Zones*
 - a. Land preference for Enterprises in Encouraged Industries or Industrial Zones
- vi. *Schemes identified as Incentives on Use of Utilities*
 - a. Exemptions or reductions on water rent
 - b. Government provision of land for less than adequate remuneration and exemptions or reductions from land rents

15. The Designated Authority may investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers/exporters of the subject goods in the subject countries during the course of the investigation.

F. Likelihood of continuation/recurrence of subsidy and injury

16. There is *prima facie* evidence of likelihood of continuation/recurrence of subsidization and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-subsidy duty, considering the volume of imports from the subject countries that were subject to duty, increase in volume of imports from exporters subject to lower duties, transfer of subsidized raw material from China PR to Vietnam, trade remedial measures imposed by third countries, overcapacities in the subject countries, likely suppression or depression effect of imports in the absence of duties, and likely adverse impact of cessation of anti-subsidy duty on the performance of domestic industry.

G. Initiation of sunset review investigation

17. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicants, substantiating likelihood of continuation or recurrence of subsidization and injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of anti-subsidy duty on imports of subject goods from the subject countries and to examine whether the expiry of the existing countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidy and consequent injury to the domestic industry, in accordance with Section 9 of the Act, read with Rule 24 of the CVD Rules.

H. Subject countries

18. The subject countries for the present countervailing duty investigation are China PR and Vietnam.

I. Period of investigation

19. The period of investigation for the purpose of the present investigation is 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months). The injury analysis period covers the period of investigation and the three preceding financial years, i.e. 2019-20, 2020-21, 2021-22.

J. Procedure

20. The sunset review investigation will cover all aspects of the Final Findings published vide Notification No. 6/22/2018- DGAD dated 31st July 2019. The Authority will also undertake likelihood analysis of continuation / recurrence of subsidization and injury in the event of expiry of anti-subsidy duty in force.

21. The provisions of Rule 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 and 22 shall *mutatis mutandis* in the present investigation.

K. Submission of Information

22. All communication should be sent to the Authority via email at the email addresses adg14-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd11-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Work format and data files are in MS Excel format.

23. The known producers/exporters from the subject countries, their governments through their respective embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic

producers are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

24. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email addresses mentioned hereinabove.

25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

26. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

L. Time Limit

27. Any information relating to the present investigation should be to the Authority via email at the email addresses adg14-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd11-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in within thirty days (30 days) from the date of receipt of the notice as per Rule 7(4) of the CVD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.

28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.

M. Submission of information on confidential basis

29. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 8(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

30. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

31. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

32. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

33. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

34. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

35. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in terms of paragraph 27 of this initiation notification.

36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.

38. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

39. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

N. Non-cooperation

40. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority